COURT FEE INDIA
भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

BEFORE THE BOARD OF REVENUE GWALIOR, M.P.
(CAMP AT JABALPUR)

R-1410-I/2011

Revision NO.- /2011

APPLICANTS :
1. Santosh Kumar S/o Premlal Tamer,
2. Ramesh Kumar S/o Premlal Tamer,
3. Shankar Lal S/o Premlal Tamer,

All Resident of village Barhi Tahsil Barhi District Katni, M.P.

VERSUS

RESPONDENTS :
1. Suraj Prasad S/o Narayan Das Tamer,
2. Ram Naresh S/o Narayan Das Tamer,
3. Shiv Kumar S/o Narayan Das Tamer,
4. Sanjay Kumar S/o Narayan Das Tamer,
5. Arun Kumar S/o Narayan Das Tamer,
6. Raghunath S/o Buddhulal Verma
7. Kanchhedilal S/o Buddhulal Verma
8. Ram Sharan S/o Buddhulal Verma
9. Kailash Prasad S/o Buddhulal Verma

All resident of village Barhi Tahsil Barhi Distt. Katni, M.P.

(123)

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
2 3 AUG 2011
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

24-8-17

2-9-2011

REVISION UNDER SECTION 50 OF THE M.P. LAND REVENUE CODE

Being aggrieved by the order dated 19.07.2011 passed by the Additional Commissioner Jabalpur in Appeal Case No.313/A-27/08-09, arising out of the order dated 22.10.2008 passed by the S.D.O. Vijayraghavgarh/Barhi in Appeal Case No.05/A-27/07-08 the applicant prefers this revision on the following facts and grounds:

FACTS

1. That, the Applicants have filed an application for mutation of land bearing Khasra No. 597/01, 642, 857, 858 Area 1.310 hectares and also for deleting the name of respondents on the basis of consent letter (Ex.P/5) executed by respondents no.1 to 6 in favour of applicants.

2. That, after receiving the application of mutation Naib Tahsildar issued the notice and called respondents on 01.11.2001. That thereafter the matter was taken on 03.12.2001 and it has found that the notices have already been served to the respondents and thereafter in absence of respondents even after the services of notice, ex=parte proceeding was done.

3. That, thereafter on 11.02.2002 Patwari Report was produced before the Naib Tahsildar and thereafter matter was fixed for order on 25.02.2002.

4. That, after considering the facts and circumstances of the case and after going through the consent letter executed by the respondent no.1 to 6 in favour of the appellants, Naib ...sed the mutation order in favour of

संतोष कुमार आदि विरूद्व सूरज प्रसाद अ

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला - कटनी

प्रकरण कमांक निग0 1410-एक/11

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
23-12-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 313/अ-27/08-09 में पारित आदेश दिनांक 19-7-11 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक के अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थिति रहने केकारण अनावेदकों की प्रचलनशीलता के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार करते हुए इस आधार पर आवेदक की अपील को निरस्त किया गया है कि उनके समक्ष जो अपीलाधीन आदेश है वह प्रत्यावर्तन आदेश होकर अंतरिम स्वरूप का है, जिसके विरूद्व संहिता की धारा 46 घ के तहत अपील ग्राह्य योग्य नहीं है । 2/ प्रकरण में आवेदक द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उक्त आदेश अंतिम प्रकृति का ना होकर प्रत्यावर्तन आदेश होकर अंतरिम स्वरूप का है । अतः आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व संहिता की धारा 46(घ) के तहत अपील का प्रावधान न होना मानकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है । अपर आयुक्त का आदेश उचित एवं विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । 4/ उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	231